न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या

52 / 2025 तारीख दायरा

10 / 06 / 2025 तारीख फैसला

03 / 12 / 2025

1. चन्द्रकला शर्मा पुत्री श्री घनश्याम उम्र 55 वर्ष जाति ब्राहम्ण नि0 अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल नि0 तेल फेक्ट्री बारा जिला बारा

वादनी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र स्व. श्री बजरंलाल जाति ब्राहम्ण नि0 अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल नि0 जाखडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज०
2. धन्नालाल पुत्र स्व. श्री बजरंलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जाखडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज० मृतक के विधिक वारिसान
   2/1 मोतीलाल पुत्र धन्नालाल जाति ब्राहम्ण
   2/2 सत्यनारायण पुत्र धन्नालाल जाति ब्राहम्ण
   2/3 रमेश पुत्र धन्नालाल जाति ब्राहम्ण
   2/4 औमप्रकाश पुत्र धन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण जाखडोद हाल निवासी तेल फेक्ट्री बारा राज०
3. बसन्ती पत्नी स्व. कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण
4. बिरधीलाल पुत्र स्वः कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण मृतक के विधिक वारिसान
   4/1 धर्मेन्द्र पुत्र स्व. बिरचीलाल जाति ब्राहम्ण
   4/2 मुलचन्द पुत्र स्व. विरधीलाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण जाखडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज०
5. मुकुटबिहारी पुत्र स्व. कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण मृतक के विधिक वारिसान
   5/1 दिनेश पुत्र स्व. मुकुटबिहारी जाति ब्राहम्ण
   5/2 जितेन्द्र पुत्र स्व. मुकुटबिहारी जाति ब्राहम्ण
   5/3 अजय पुत्र स्व. मुकुटबिहारी जाति ब्राहम्ण निवासीगण जाखडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज०
6. मोहनलाल पुत्र स्व. कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण
7. राधेश्याम पुत्र स्व. कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण नि0 जाखडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज०
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री बाबूलाल बैरवा एड0।

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री अम्बेडर बैरवा एड0।

<u>वाद अर्न्तगत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना जिला कोटा राज० मे जमाबंदी सम्वत् 2060 मे वादनी की दादी नन्दकिशोरी बाई बेवा बजरंगा व प्रतिवादीगण 01 घनश्याम व प्रतिवादीगण 02 की मृत्यु आज से लगभग 4 वर्षो पूर्व हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान 2/1 ता 2/4 के पिता धन्नालाल व प्रतिवादीगण 03 के पति व 04 बिरधीलाल की मृत्यु आज से लगभग 2 वर्षा पूर्व हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण 4/1 व 4/2 व प्रतिवादी कम 05 मुकुटबिहारी की मृत्यु आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान 5/1 ता 5/3 व प्रतिवादी कम 06 व 07 के पिता कन्हैयालाल के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

खसरा नम्बर 1398 रकबा 1.11 हैक्टर नहरी दोयम, खसरा नम्बर 1399 रकबा 0.69 हैक्टर नहरी दोयम, खसरा नम्बर 1400 रकबा 1.80 हैक्टर नहरी दोयम, खसरा नम्बर 1422 रकबा 0.21 हैक्टर नहरी दोयम, खसरा नम्बर 1423 रकबा 0.95 हैक्टर नहरी दोयम, खसरा नम्बर 1425 रकबा 0.34 हैक्टर नहरी दोयम, खसरा नम्बर 2229 रकबा 1.91 हैक्टर नहरी दोयम, कुल किता 7 की कुल रकबा 7.01 हैक्टर कृषि भूमि स्थित हे जिसमे वादीनी की दादी नन्दकिशोरीबाई, कन्हैयालाल धन्नालाल, घनश्याम प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा निहित था तथा केचमेंट के बाद नवीन खसरा नम्बर 2229 रकबा 1.91 हैक्टर नहरी दोयम, खसरा नम्बर 2600 रकबा 3.05 हैक्टर नहरी दोयम, खसरा नम्बर 2604 रकबा 1.74 हैक्टर नहरी दोयम, कुल किता 3 कुल रकबा 6.70 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। वादनी की माता की मृत्यु बचपन में हो गई थी वादनी के पिता प्रतिवादी क्रम 01 पत्नी की मृत्यु होने के बाद उसके गम में अपना मानसिक सन्तुलन बिगड गया तो वादनी की देखभाल एवं पालन पोषण उसकी दादी नन्दकिशोर बाई पत्नी बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण ने की तो बचपन से ही परिवार वाले वादनी का बोलता हुआ नाम आब्दाबाई से पुकारने लगे लेकिन जब दादी की उम्र अधिक हो गई तो दादी ने सोचा कि इस दुनिया में इसका कोई नही है तो उसने अपने वाद में वर्णित अपने हिस्से की कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड वसीयत से दिनांक 18.07.1986 को गवाहान के समक्ष उपपंजीयन पीपल्दा के समक्ष वादीनी के नाम निष्पादित कर दी गई तथा बोलता हुआ नाम ही वसीयत में आबदा बाई दर्ज कर दिया गया लेकिन जब वादनी को उसकी दादी ने स्कूल मे जब दाखिला करवाया तो उसका नाम चन्द्रकला शर्मा रखा जो आज वर्तमान मे सम्पूर्ण सरकारी अर्द्धसरकारी एवं विद्यालय रिकॉर्ड के दस्तावेजो मे वादनी का नाम चन्द्रकला शर्मा दर्ज चला आ रहा है तथा जब जरिये वसीयत वादनी के नाम वाद में वर्णित भूमि मे इंतकाल संख्या 88 दिनांक 24.06.1989 खोला गया उसमे राजस्व रिकॉर्ड आब्दा बाई दर्ज कर दिया गया जो वादनी का बचपन का बोलता हुआ नाम था। वादनी के नाम इंतकाल खोलते समय वसीयत मे दर्ज बचपन का नाम आब्दा बाई दर्ज कर दिया क्योकि वादनी का वास्तविक नाम स्कूली दस्तावेजो व अन्य दस्तावेजात मे चन्द्रकला शर्मा था परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने बोलता हुआ नाम दर्ज कर दिया जिसके स्थान पर वादनी अपने वास्तविक नाम चन्द्रकला शर्मा पुत्री घनश्याम जाति ब्राहम्ण की घोषणा डिक्री माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी है। वादनी के दीगर दस्तावेजो जेसे भारतीय निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी, विद्यालय रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में वादनी का सही नाम चन्द्रकला शर्मा दर्ज है। जिससे बखूबी साबित होता है। वादनी का नाम उक्त विवादित कृषि आराजी खाता संख्या नया 26 की पुराना 19 खसरा संख्या 1229 रकबा 1.91 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2600 रकबा 3.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2604 रकबा 1.74 हैक्टेयर, कुल किता 3 की कुल रकबा 6.70 हैक्टेयर, भूमि मे वादनी का नाम गलत दर्ज होने के कारण विभिन्न प्रकार की परेशानीयो का सामना करना पड रहा है। जैसे कृषि ऋण लेना, के.सी.सी बनवाना, आदि इस बाबत् वादनी ने प्रतिवादी सख्या 08 से कई बार निवेदन किया नाम शुद्ध करने हेतु लेकिन प्रतिवादी क्रम 08 ने दिनांक 04.06.2025 को अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुये वादनी का नाम सही करने से साफ इंकार कर दिया इसलिये वादनी को मजबूर होकर अपना नाम दुरूस्त करवाने बाबत् माननीय न्यायालय मे वाद पत्र पेश करना लाजिम आया। वाद कारण दिनांक 04.06.2025 को प्रतिवादी क्रम 08 द्वारा वादनी का नाम दुरूस्त करने से साफ इंकार करने से उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायहित कि डिक्री बहक वादी

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

खिलाफ जात एवं जायदाद प्रतिवादीगण इस तौर पर सादर फरमाई जावें कि वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी खाता संख्या नया 26 की पुराना 19 खसरा संख्या 1229 रकबा 1.91 हैक्टेयर खसरा संख्या 2600 रकबा 3.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2604 रकबा 1.74 हैक्टेयर, कुल किता 3 की कुल रकबा 6.70 हैक्टेयर, भूमि वाके माल ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना भू: अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे वादनी का नाम दुरूस्त करते हुये चन्द्रकला शर्मा पुत्री घनश्याम घोषित किया जावें तद्नुसार वादनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दारामद किया जायें तथा वादनी का गलत नाम आब्दाबाई राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जायें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे वादी को प्रतिवादीगण से दिलाई जावें।

वादी की ओर से वाद श्री बाबूलाल बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री अम्बेडकर बैरवा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाब दावा पेश किया। जवाब सरकार के अनुसार जामबन्दी आधार सं0 2076 में पटवार मण्डल अयाना के आराजी ग्राम आयाना के खाता सं0 26 में खातेदार आब्दाबाई पुत्री घनश्याम, घनश्याम पुत्र बजरंगलाल धन्नालाल, बंजरगलाल बसन्ती पत्नि स्व0 बिरधीलाल, मुकुटबिहारी, मोहनलाल राधेश्याम पुत्रान कन्हैयालाल सभी जाति ब्राहम्ण नि0 जाखडोद तह0 दीगोद जिला कोटा है। चन्द्रकला शर्मा पुत्री घनश्याम का कोई परिजन पटवार मण्डल अयाना में निवास नहीं करता है और सहखातेदार भी पटवार मण्डल अयाना के ग्रामों में निवास नहीं करते है। सरकार का हित अप्रभावित है इसलिए प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे या सरकार का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। इसलिए प्रार्थी या वाद स्वयं सिद्ध करे। पार्षद वार्ड नं0 15 के प्रमाण पत्र अनुसार चन्द्रकला शर्मा पुत्री घनश्याम शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 55 वर्ष नि0 रामनगर कालौली तेल फैक्ट्री बारां राज0 कि निवासी है जो मेरे वार्ड में निवास करती है मै इनको अच्छी तरह से जानता हूं व प्रमाणित करता हूं कि चन्द्रकला शर्मा का घर पर आब्दा बाई नाम है इनको आब्दा बाई के नाम से भी जाना जाता है जो सत्य है व दोनों नाम एक ही है।

बहस सुनी गई। बहस के कथनो एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के मनन व अवलोकन उपरान्त पाया कि वादनी के दीगर दस्तावेजो जेसे भारतीय निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी, विद्यालय रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में वादनी का नाम चन्द्रकला शर्मा दर्ज है। पार्षद रिपोर्ट में आब्दा बाई व चन्द्रकाला बाई दोनो एक ही है एवं सह खातेदारान ने जवाब दावा के माध्यम से आब्दा बाई का नाम चन्द्रकला शर्मा करने की लिखित सहमति दी है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपल्दा को आदेश दिया जाता है कि वाके माल ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना भू: अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की कृषि आराजी खाता संख्या नया 26 की पुराना 19 खसरा संख्या 1229 रकबा 1.91 हैक्टेयर खसरा संख्या 2600 रकबा 3.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2604 रकबा 1.74 हैक्टेयर, कुल किता 3 की कुल रकबा 6.70 हैक्टेयर, में आब्दा बाई पुत्री घनश्याम के स्थान पर चन्द्रकला शर्मा पुत्री घनश्याम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिकी जारी हो।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
52/2025	10/06/2025	03/12/2025

1. चन्द्रकला शर्मा पुत्री श्री घनश्याम उम्र 55 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल निवास तेल फेक्ट्री बारा जिला बारा राजस्थान

वादनी

बनाम

1 घनश्याम पुत्र स्व. श्री बजरंलाल जाति ब्राहम्ण निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० हाल निवास जाखडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज०

2. धन्नालाल पुत्र स्व. श्री बजरंलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जाखडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज० (मृतक) मृतक के विधिक वारिसान
   2/1 मोतीलाल पुत्र धन्नालाल जाति ब्राहम्ण
   2/2 सत्यनारायण पुत्र धन्नालाल जाति ब्राहम्ण
   2/3 रमेश पुत्र धन्नालाल जाति ब्राहम्ण
   2/4 औमप्रकाश पुत्र धन्नालाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण जाखडोद हाल निवासी तेल फेक्ट्री बारा राज०
3. बसन्ती पत्नी स्व. कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण
4. बिरधीलाल पुत्र स्वः कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण (मृतक) मृतक के विधिक वारिसान
   4/1 धर्मेन्द्र पुत्र स्व. बिरचीलाल जाति ब्राहम्ण
   4/2 मुलचन्द पुत्र स्व. विरधीलाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण जाखडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज०
5. मुकुटबिहारी पुत्र स्व. कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण (मृतक) मृतक के विधिक वारिसान
   5/1 दिनेश पुत्र स्व. मुकुटबिहारी जाति ब्राहम्ण
   5/2 जितेन्द्र पुत्र स्व. मुकुटबिहारी जाति ब्राहम्ण
   5/3 अजय पुत्र स्व. मुकुटबिहारी जाति ब्राहम्ण निवासीगण जाखडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज०
6. मोहनलाल पुत्र स्व. कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण
7. राधेश्याम पुत्र स्व. कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण समस्त निवासीगण जाखडोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज०
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री बाबूलाल बैरवा एड0।
प्रतिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री अम्बेडर बैरवा एड0।

वाद अर्न्तगत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री बाबूलाल बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम अयाना पटवार हल्का अयाना भू: अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की कृषि आराजी खाता संख्या नया 26 की पुराना 19 खसरा संख्या 1229 रकबा 1.91 हैक्टेयर खसरा संख्या 2600 रकबा 3.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2604 रकबा 1.74 हैक्टेयर, कुल किता 3 की कुल रकबा 6.70 हैक्टेयर, में आब्दा बाई पुत्री घनश्याम के स्थान पर चन्द्रकला शर्मा पुत्री घनश्याम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 03.12.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक इटावा

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)